

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर रेलवे, वाराणसी ।

अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा कर दी गई हैं । पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, वाराणसी ।